उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-21/2017/एस-2-808/दस-2017-88क(22)/2015 टी0सी0

लखनऊ :: दिनॉक:: 08 जून,2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को जनहित में उनके वर्तमान पद एवं स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहाँ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्रीमती रागिनी सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।	मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
2	श्री मो0 जमा, मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।	प्रतीक्षारत।
3	श्री विनोद कुमार वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर।	प्रतीक्षारत।

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- स्थानान्तरित अधिकारियों का जो भी अगले माह का वेतन होगा, वह उसकी पूर्व तैनाती के स्थान से आहरित नहीं होगा।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

<u>संख्या-21/2017/ एस-2-808(1)/दस-2017,तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग/औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0,कानपुर।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी,(जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट) लखनऊ/कानपुर।
9- संबंधित अधिकारीगण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।